भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 2299
गुरुवार, 12 फरवरी, 2026/23 माघ, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन को 'पॉइंट ऑफ कॉल' का दर्जा

2299. श्री के. सुधाकरनः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार को आसियान ओपन स्काई नीति के अंतर्गत कपूर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन को 'पर्यटन स्थल' के रूप में नामित करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिससे कि विदेशी विमान कंपनियां वहाँ से विमान प्रचालन कर सकें;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है और सरकार द्वारा इस नीति के अंतर्गत किसी विमानपत्तन को नामित 18 पर्यटन स्थलों में से एक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए क्या विशिष्ट मानदंड अपनाए गए हैं;
(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 'प्वाइंट ऑफ कॉल' का दर्जा न मिलने और ओपन स्काई नीति के अंतर्गत शामिल न होने के कारण कतिपय विमान कंपनियों का एकाधिकार बढ़ रहा है जिसके कारण उत्तरी मालाबार के प्रवासी भारतीयों को अत्यधिक हवाई किराया देना पड़ रहा है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार ने मध्य पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशियाई प्रमुख विमान कंपनियों के लिए कन्नूर को 'प्वाइंट ऑफ कॉल' के रूप में शामिल करने हेतु द्विपक्षीय विमान सेवा समझौतों की समीक्षा करने के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित की है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ): जी हाँ, सरकार को आसियान ओपन स्काई नीति के तहत कन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे को "पर्यटन स्थल" के रूप में नामित करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए है।

वर्तमान में, भारत सरकार भारतीय वाहकों द्वारा नॉन-मेट्रो प्वाइंट्स से सीधे या अपने स्वयं के घरेलू परिचालन के माध्यम से अधिक अंतरराष्ट्रीय परिचालन को बढ़ावा दे रही है। तदनुसार, कन्नूर सहित नॉन-मेट्रो प्वाइंट्स को किसी भी विदेशी वाहक को एएसए में नए प्वाइंट्स ऑफ कॉल के रूप में नहीं दिया जा रहा है।

आसियान ओपन स्काई नीति के तहत 18 प्वाइंट्स की पहचान प्रचलित परिचालन संबंधी रणनीतिक और प्रशासनिक कारकों को ध्यान में रखते हुए उचित विचार-विमर्श के बाद लिया गया एक बार का नीतिगत निर्णय था।
